(वाद सं0.- 3624/2018)

01.07.2021

प्रसंगाधीन मामला एक अनुसूचित जाति की महिला (परिवादी लक्ष्मी कुमारी) को उसके पति, राधा राम, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग, बिहार सरकार, पटना को अपने एक महिला मित्र के उकसाने पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **पुलिस उपाधीक्षक, विधि–व्यवस्था, पटना** के प्रतिवेदनानुसार परिवादी एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है। परिवादी का अपने पति से सम्पत्ति को लेकर काफी गंभीर विवाद है। परिवादो के लिखित आवेदन पर उसके पति, राधा राम व महिला मित्र, सुनीता सिंह, के विरूद्ध भा0दं0स0 की इधाराओं–497/498(ए)/307/379 504/506/34 के अन्तर्गत राजीव नगर थाना कांड सं0–316/2017, दिनांक–22.11.2017 संस्थित किया गया है, जो वर्तमान म अन्वेषणाधीन है।

राज्य आयोग द्वारा पुनः वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रसंगाधीन कांड के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन की मांग की गई। प्रगति प्रतिवेदनानुसार प्रसंगाधीन कांड के अनुसंधान के क्रम में परिवादी के पति व उसके महिला मित्र की संलिप्तता को सत्य पाया गया है। परिवादी का पति वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर मुक्त है जबकि उसकी महिला मित्र फिरार है । महिला मित्र के फिरार रहने के कारण ही प्रसंगाधीन कांड में अब तक आरोप–पत्र समर्पित नहीं किया जा सका है। संबंधित

अन्वेषणकर्त्ता को परिवादी के फिरारी महिला मित्र की तत्काल गिरफ्तारी कर **आरोप–पत्र** समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले मे पुलिस द्वारा अनुसंधान लगभग पूर्ण कर परिवादी के पति व उसके महिला मित्र की कांड में संलिप्तता को सत्य पाया गया है तथा आरोप–पत्र समर्पित करने हेतु अनुसंधानकर्त्ता को निर्देशित किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर उक्त मामले म कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (अनुलग्नकों सहित) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक